भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही मे से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाऐं आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांकः1.1.2012

(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

यह अधिनियम किन–किन पर लागू होता है –

शादी करने वाले दोनों पक्षों में से कोई एक इसाई होना चाहिए।

इस अधिनियम के तहत विवाह करवाने के लिए कौन–कौन अधिकृत हैं-

इस अधिनियम की धारा 5 के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी विवाह करवाने के लिए अधिकृत है –

1. कोई भी व्यक्ति जो धर्म का अधिकारी हो।
2. कोई भी स्कॉटलैंड चर्च का पादरी।
3. इस अधिनियम के तहत कोई भी अधिकृत धार्मिक मंत्री।
4. विवाह रजिस्ट्रार द्वारा या उसकी उपस्थिति में।
5. इस अधिनियम के तहत कोई भी अधिकृत व्यक्ति जिसे विवाह प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार हो।

धर्म के मंत्री द्वारा करवाए जाने वाले विवाह –

क) कोई भी विवाह का इच्छुक व्यक्ति (पुरुष या महिला) लिखित में सूचना, जो कि प्रारूप में निर्धारित की गई है, उस धर्म के मंत्री को प्रस्तुत करेगा।

ख) विवाह होने से पहले धर्म के मंत्री द्वारा प्रमाणपत्र जारी होना जरूरी है। यह प्रमाणपत्र –

1. सूचना प्राप्त होने के बाद, चार दिन तक जारी नहीं होगा।
2. पति या पत्नी उस मंत्री के सामने पेश होकर विवाह कराने हेतु यह सुनिश्चित करेगा कि उसे विश्वास है कि उनकी शादी होने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।
3. यदि कोई पक्ष नाबालिग है, तो पिता के जीवित होने पर, उनकी अनुमति और यदि पिता मृत हैं तो ऐसी स्थिति में उसके अभिभावक की अनुमति और यदि अभिभावक नहीं है तो ऐसे नाबालिग की माता की अनुमति जरूरी है।

(ग) प्रमाणपत्र जारी होने के दो मास भीतर विवाह होना चाहिए नहीं तो दोबारा नोटिस देना होगा।

(घ) प्रमाणपत्र जारी होने के बाद, विवाह किसी भी विधि और रस्म जो मंत्री को ठीक लगें, के अनुसार और कम से कम दो गवाहों की उपस्थिति में हो सकता है।

(ड.) इस अधिनियम के तहत जो भी विवाह होते हैं उसे एक अधिकृत व्यक्ति के द्वारा निश्चित रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

विवाह रजिस्ट्रार द्वारा या उसकी उपस्थिति में होने वाले विवाह –

1. जब विवाह रजिस्ट्रार की मौजूदगी में विवाह करना हो तो पहली अनुसूचि के अनुसार जिला के विवाह–रजिस्ट्रार को नोटिस दिया जाएगा। विवाह रजिस्ट्रार इस नोटिस की एक प्रति अपने

कार्यालय में किसी विशिष्ट स्थान पर चिपकाएगा। इस नोटिस की एक सच्ची प्रतिलिपि "विवाह सूचना किताब" में दर्ज की जाएगी।

2. जिसने नोटिस दिया है, यदि वह पक्ष विवाह रजिस्ट्रार को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रार्थना करता है –

क) तो रजिस्ट्रार प्रमानपत्र जारी कर देगा, यदि –

- कोई एक पक्ष रजिस्ट्रार के सामने शपथ लेता है कि कोई भी कानूनी बाधा नहीं है ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने में।
- कि इस अधिनियम के तहत किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने ऐसे प्रमाणपत्र को न जारी करने के लिए नहीं कहा।
- कि नोटिस के प्राप्त होने के बाद चार दिन निकल चुके हैं।
- जहाँ एक पक्ष नाबालिग है, ऐसे विवाह के लिए कानूनन अनुमति ले ली गई है या फिर अनुमति देने के लिए कोई भी अधिकृत व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है।

3. प्रमाणपत्र जारी होने के बाद यदि कोई और वैध बाधा नहीं है, तो दोनों पक्ष किसी भी रस्म–रिवाज से जो उन्हें ठीक लगे उससे विवाह कर सकते हैं।

4. विवाह रजिस्ट्रार और दो या दो से अधिक विश्वासनीय गवाहों की उपस्थिति में किया जाएगा।

5. प्रत्येक पक्ष निम्नलिखित घोषणा करेगा/करेगी कि –

> "मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी ऐसी कानून अड़चन को नहीं जानता/जानती कि मैं (क.ख.) ग.घ. से विवाह नहीं कर सकता/सकती।"
>
> "मैं यहाँ उपस्थित गवाहों का आहवान करता/करती हूँ कि मैं (क.ख.) तुम्हें (ग.घ.) को कानूनी तौर पर मेरा/मेरी ब्याहता पति/पत्नी स्वीकार करता/करती हूँ।"

6. प्रमाणपत्र जारी होने के दो मास भीतर विवाह होना चाहिए नहीं तो नया नोटिस दिया जाता है।

7. किसी भी विवाह के सम्पन्न होने के बाद यह तुरन्त "विवाह रजिस्टर किताब" में दर्ज करवानी होती है और उस रजिस्टर में एक संलग्न प्रमाणपत्र में भी दर्ज करना होता है। दोनों पक्षों द्वारा और विवाह रजिस्ट्रार द्वारा और गवाहों द्वारा उन प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।